न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 133/2017 **दिनांक 01.09.2017**

उनवान

1. भीमराज आयु 50 वर्ष पुत्र जयकिशन जाति मीणा
2. रूपनारायण आयु 32 वर्ष छोटूलाल जाति धाकड़
3. मांगीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र रामेश्वर जाति मीणा
4. हंसराज आयु 52 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीणा
5. कविता बाई आयु 40 वर्ष पत्नि स्व0 राजेन्द कुमार जाति धाकड़
6. कैलाशी बाई आयु 65 वर्ष पत्नि स्व0 प्रहलाद जाति मीणा
7. गोरधन आयु 61 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा
8. घनश्याम आयु 58 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासीगण जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला बाई आयु 55 वर्ष पत्नि छोटूलाल जाति मीणा
2. भवानीशंकर आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति लुहार
3. गिरिराज आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति लुहार निवासीगण जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः— विद्धान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।
अप्रार्थीगणः— विद्धान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

—::निर्णय::— दिनांक 19/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल जीरोद पटवार क्षैत्र जीरोद तहसील अटरू जिला बारां मे प्रार्थीगण के

स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 217 का कुल किता 8 का रकबा 3.83 है0, खाता संख्या 196 का ख0नं0 381 का रकबा 4.73 है0, खाता संख्या 149 का ख0नं0 382 का रकबा 2.10 है0, खाता संख्या 134 का ख0नं0 384 रकबा 1.92 है0 खाता संख्या 50 ख0नं0 368 रकबा 3.79 है0, खाता संख्या 33 के 2 किता का रकबा 1.42 है0, आराजी प्रार्थीगण के दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के साथ में नकल नवीन जमाबन्दी प्रार्थीगण, नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर आने जाने का स्थायी रास्ता ख0नं0 393, 394, 395 व 396 के मध्य की मेड पर होकर है जो पूर्व से ही 10 फुट की चौडाई में है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज निकलते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के बाद से उसी रास्ते पर प्रार्थीगण निकलते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के बाद से उसी रास्ते पर प्रार्थीगण निकलते चले आ रहे है, इस रास्ते को प्रार्थीगण अपने–अपने खेतों पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है, लेकिन इस वर्ष दिनांक 10.05.2017 को अप्रार्थिया क्रम 1 ने योजनाबद्ध तरीके से रास्ते में पत्थर का कोट खींचकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने रोड़ के सहारे तार की बाड़ कर दी तथा पत्थर डालकर रास्ता बन्द कर दिया जिससे रास्ता नष्ट हो गया और अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि अब हम तुम्हे इस रास्ते से नही निकलने देगे। अगर निकलने का प्रयास किया तो हाथ पैर तोड़ देगें और जान से मारने की धमकी दी। संलग्न नजरी नक्शे में रास्ते को A से B मार्क से प्रदर्शित किया गया है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही हैं अगर अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने–जाने से वंचित हो जावेंगे। जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेतों को नही हंकवा सकेंगे, फसल नहीं बो सकेंगे, फसल तैयार कर घर नही ला सकेगें, सिचाई नही कर सकेगें, तथा प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ख0नं0 393, 394, 395, व 396 के मध्य की मेड पर होकर पूर्व की भांति आने जाने का 10 फुट चौड़ा रास्ता A से B मार्क से अंकित के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले। प्रार्थीगण नियमानुसार 10 फुट

चौड़े रास्ते की मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित हैं जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं, जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उसके स्वामित्व की आराजी पर आने–जाने का रास्ता ख0नं0 393, 394, 395, व 396 के मध्य की मेढ़ जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ''ए से बी'' मार्क से प्रदर्शित किया गया हैं। 10 फुट चौडाई में दिलाये जाने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण 10 फुट चौडाई के रास्ते की मुआवजा राशि जमा करने को तैयार है।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1से PW_7 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा PW_2 पर रिकार्ड EXP करवाया गया। रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार अटरू से मौके की रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 01.10.2019 से रिपोर्ट पेश की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम जिरोद के ख0नं0 392 रकबा 2.44 है0 पर पहुचने हेतु नजरी नक्शा पेश किया जिसमें 4 मीटर रास्ते हेतु ख0नं0 395 में से 20 लीटर लम्बा 2 मीटर चोडा क्षैत्रफल 40 मीटर ख0नं0 393 में से 88 मीटर लम्बा 2 मीटर चोडा 176 मीटर तथा ख0नं0 396 में से 108 मीटर लम्बा व 2 मीटर चोडा 216 मीटर कुल 432 मीटर दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। अभिभाषक प्राथीगण की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ग्राम जीरोद की खाता संख्या 217 किता 8 रकबा 3.83 है0 खाता संख्या 196 ख0नं0 381 रकबा 4.73 है0 खाता संख्या 149 ख0नं0 382 रकबा 2.10 है0 खाता संख्या 134 ख0नं0 384 रकबा 1.92 है0 खाता सं0 50 ख0नं0 368 रकबा 3.79 है0 खाता संख्या 33 किता 2 रकबा 1.42 है0 आराजी पर आने जाने का स्थायी रास्ता ख0नं0 393, 394, 395 व 396 के मध्य मेड पर होकर है। जो पूर्व से ही 10 फुट की चोडाई में है। जिससे प्रार्थीगण के पूर्वज निकलते थे जो अप्रार्थीगण द्वारा तार बाड़ कर पत्थर डालकर रास्ता बंद कर दिया लडाई झगड़ा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण को

अपने खाते की आराजी पर जाने आने हेतु रास्ता दिलाया जावें। जिसकी मुआवजा राशि अदा करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम जीरोद की खाता संख्या 217 कुल किता 8 रकबा 3.83 है0 खाता संख्या 196 ख0नं0 381 रकबा 4.73 है0 खाता संख्या 149 ख0नं0 382 रकबा 2.10 है0 खाता संख्या 134 ख0नं0 384 रकबा 1.92 है0 खाता सं0 50 ख0नं0 368 रकबा 3.79 है0 खाता संख्या 33 किता 2 रकबा 1.42 है0 में आने जाने हेतु ग्राम जिरोद के ख0नं0 392 रकबा 2.44 है0 पर पहुचने हेतु नजरी नक्शा पेश किया जिसमें 4 मीटर रास्ते हेतु ख0नं0 395 में से 20 लीटर लम्बा 2 मीटर चोडा क्षैत्रफल 40 मीटर ख0नं0 395 में से 88 मीटर लम्बा 2 मीटर चोडा 175 मीटर तथा ख0नं0 396 में से 108 मीटर लम्बा व 2 मीटर चोडा 216 मीटर कुल 432 मीटर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू नियमानुसार DLC का दुगना जमा कराकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: